सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2014/202 दायर दिनांक 23.09.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रेमाराम पुत्र बोदिया, जाति–नायक, उम्र–65साल, निवासी–थेबड़ी, तहसील–डीडवाना, हाल,निवासी–13 एच.एम. एच. हनुमानगढ टाऊन, राजस्थान।	बनाम्	1. हरिकिशन पुत्र चौथीया, उम्र–70साल, 2. प्रभुराम पुत्र चौथीया, उम्र–65साल, 3. सोहनराम पुत्र दानिया, 4. पीथाराम पुत्र दानिया, 5. मोहनी पुत्री दानिया, 6. ग्यारसी पुत्री दानिया, 7. जगाराम पुत्र मूलाराम, 8. धन्नाराम पुत्र मूलाराम, 9. पूर्णाराम पुत्र मूलाराम, 10. राजूदेवी पुत्र मूलाराम, 11. रूकमा पुत्र मूलाराम, 12. दुर्गादेवी पत्नी मूलाराम, समस्त,जाति–नायक, निवासी–थेबड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. गोपालराम पुत्र मूलाराम, 14. ओमाराम पुत्र मूलाराम, 15. कमला पत्नी रतनाराम पुत्री बिड़दिया, जाति–नायक, हाल,निवासी–निम्बी टाँका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. जड़ाव पत्नी हरवास पुत्री बिड़दिया, जाति–नायक, हाल,निवासी–राजिया मुहाना, तहसील–नाँवा, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. नन्दूदेवी पत्नी नानूराम पुत्री बोदिया, उम्र–80साल, जाति–नायक, निवासी–थेबड़ी, हाल,निवासी–गाँव कालूवाला चक,

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2014/202
दायर दिनांक 23.09.2014, निर्णय दिनांक 07.06.2017
प्रेमाराम बनाम् हरिकिशन, वगैरा।

		तहसील–गंगानगर, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. ताराचन्द पुत्र अर्जुन, उम्र–25साल, जाति–नायक, निवासी–थेबड़ी, हाल,निवासी–13एच.एम.एच. हनुमानगढ टाऊन, राजस्थान, बहैसियत, 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. उपतहसीलदार छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. श्रवण पुत्र चेलाराम, जाति–नायक, निवासी–आड़का बास, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. ग्यारसी पत्नी चेलाराम, जाति–नायक, निवासी–आड़का बास, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. रतनी पुत्री लक्ष्मण, 24. झणकारी पुत्री लक्ष्मण, 25. नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मण, 26. बुद्धादेवी पुत्री लक्ष्मण, 27. राजदेवी पुत्री लक्ष्मण, समस्त,जाति–नायक, निवासी–खिंचियाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिल–नागौर, राजस्थान, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, **53, 188 R.T. Act.**

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2014/202
दायर दिनांक 23.09.2014, निर्णय दिनांक 07.06.2017
प्रेमाराम बनाम् हरिकिशन, वगैरा।

उपस्थित–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक **07.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद थेबड़ी में वादी के दादा स्व0 हुक्माराम व स्व0 पिता बोदिया की खातेदारी व कब्जाकाश्त की जमीन जिसके पुराने खसरा नम्बर 69 रकबा 74 बीघा नये खसरा नम्बर 71.64 बीघा बारानी अव्वल अवस्थित है।

खसरा नम्बर 71 रकबा 64 बीघा की खातेदारी व कब्जाकाश्त पूर्व में वादी के दादा हुक्माराम के नाम थ व हुक्माराम का स्वर्गवास काफी वर्षों पहले हो जाने के बाद उनके चार पुत्रों चौथीया, दानिया, बोदिया व बिड़दिया के नाम से उक्त खेत की दर्ज हो गयी। उक्त खेत खसरा नम्बर 71 रकबा 64 बीघा में हुक्माराम के चारों पुत्रों का बराबर–बराबर 1/4 – 1/4 हिस्सा व अधिकार था और उसी अनुरूप उक्त खेत खसरा नम्बर 71 में काबिज व काश्त करते थे और आज भी उनके वारिसान् उसी अनुरूप से काबिज व काश्त करते हैं।

वादी के पिता का स्वर्गवास करीब 40 वर्ष पहले व बिड़दिया का स्वर्गवास लगभग 30 वर्ष पहले हो गया। हुक्माराम के पुत्र बोदिया व बिड़दिया का स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त खेत खसरा नम्बर 71 की खातेदारी बोदिया के विधिक वारिसान् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 17 व 18 के 1/3 – 1/3 व बिड़दिया के विधिक वारिसान् उनकी दो पुत्रियां प्रतिवादीगण संख्या 15 व 16 के हक व खातेदारी बिड़दिया के हिस्से में 1/2 – 1/2 व खातेदारी में नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु रेकर्ड में बोदिया व बिड़दिया के फौत हो जाने के पश्चात् केवल उनके भाई चौथीया व दानिया पुत्र हुक्माराम दर्ज किया जो कि गलत है। खसरा नम्बर 71 रकबा 64 बीघा में हुक्माराम के चार पुत्रों का 1/4 – 1/4 का बराबर हक–हिस्सा व अधिकार था उसके पश्चात् उसके दो पुत्र प्रेमाराम व अर्जुनराम व पुत्री नन्दुदेवी का 1/3 – 1/3 हक हिस्सा व अधिकार था। परन्तु अर्जुनराम व उसकी पत्नी जमुना का स्वर्गवास हो गया व उसके एक पुत्र ताराचन्द है, जो वादी के साथ ही रहता है जिस हेतु अर्जुन का हिस्सा भी वादी के हिस्से में दर्ज होना चाहिए था व बिड़दिया के हक व हिस्सा की 1/4 भाग भूमि बिड़दिया की दोनों पुत्रियों प्रतिवादी संख्या 15 व 16 कमला व जड़ाव के नाम खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों के बिना जाँच किये बोदिया व बिड़दिया के फौत होने के पश्चात् उनके विधिक वारिसान् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 15 से 18 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 व 21 से 27 के पिता व दादा चौथीया व दानिया के नाम दर्ज गलत रूप से दर्ज कर दिया है जो कि कानूनन् गलत है, जिस हेतु यह वाद पेश है।

सहायक कलक्टर
कोटखावदा

(लगातार)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 01 से 14 व 21 से 27 ने वर्षात् के मौसम में माह जून–जुलाई 2014 में वादी को धमकी दी व काश्त करने से वादी को मना किया और कहा कि उक्त जमीन उनकी है। उक्त भूमि की तब नकल प्राप्त की तो पता चला कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 14 व 21 से 27 ने गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा ली है व गलत खातेदारी की आड़ में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 14 व 21 से 27 के मन में लालच में आ गया। गलत खातेदारी दर्ज होने से खेत बैचाण करने के लिए आमादा फिसाद है जबकि उक्त जमीन का बिना बन्टवारा कराये उनको खेत बैचने का कोई अधिकार नहीं है। वादी व प्रतिवादी संख्या 15 से 18 की कृषि भूमि में उनका कोई हक–हिस्सा व अधिकार नहीं है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद थेबड़ी में स्थित खसरा नम्बर 71 रकबा 64 बीघा की खातेदारी बोदिया के 1/4 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 18 ताराचन्द के हक में 2/3 व प्रतिवादी संख्या 17 नन्दुदेवी के हक व हिस्सा में 1/3 की खातेदारी व बिड़दिया के हिस्सा की 1/4 भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 15 व 18 कमला व जड़ाव के 1/2 – 1/2 की खातेदारी घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त फरमावे व उक्त प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 व 21 ता 27 का बोदिया व बिड़दिया के हिस्से तक का नाम खातेदारी से हटाया जावे। उक्त जमीन का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कराया जाकर प्रत्येक की हक व हिस्से की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खातेदारी की दर्ज की जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 27 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 15, 16, 21 व 22 की इकबाली जवाब पेश हुआ, प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 11, 13 व 14 की ओर से वकील श्री नरेन्द्रकुमार औझा ने अपना वकालतनामा पेश कर प्रकरण में जवाब के लिए अवसर चाहा, जो दिया, शेष प्रतिवादीगण के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

जवाब पेश करने के लिए बार–बार अवसर दिया जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं होने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया।

वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2025–2028 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी सम्वत् 2032–2035 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी सम्वत् 2041–2044 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी सम्वत् 2045–2048 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2065–2068 न्यायालय में पेश की गयी।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार, कोर्ट कैम्प–आकोदा में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

पक्षकारान् दावा अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन कर रहे है। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण को, पक्षकारान् ने दावा अनुसार डिक्री किये जाने की अपनी सहमति पेश की है। वाद वादी का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है इसलिए हमारे मत में वाद वादी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवचेन, वाद वादी, स्वीकार किया जाकर डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा सरहद थेबड़ी में वादग्रस्त भूमि का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा कर डिक्री सादिर किया जाता है कि:–

1. खसरा नम्बर 71 रकबा 64 बीघा का 1/4 हिस्से में से रकबा 2/3 भाग भूमि का वादी प्रेमाराम को व रकबा 1/3 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 17 नन्दूदेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 71 रकबा 64 बीघा का 1/4 हिस्से में से रकबा 1/2, 1/2 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 15 कमला व प्रतिवादी संख्या 16 जड़ाव को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 71 रकबा 64 बीघा में से दानिया के हिस्से की रकबा 1/4 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 14 को व चौथीया के हिस्से की रकबा 1/4 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 तथा 21 ता 27 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उक्त वादित खसरा नम्बर की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 15, 16, 17 को प्रदान की गयी डिक्री अनुसार भू–भाग पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा साबिज है जिससे प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 व 21 ता 27 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या उनके प्रतिनिधि उक्त भू–भाग में हस्तक्षेप न करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

निर्णय आज दिनांक **07.06.2017** को कोर्ट कैम्प–आकोदा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–आकोदा

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2014/202**

दायर दिनांक **23.09.2014**

वदी		प्रतिवादीगण
1. प्रेमाराम पुत्र बोदिया, जाति—नायक, उम्र—65साल, निवासी—थेबड़ी, तहसील—डीडवाना, हाल,निवासी—13 एच. एम.एच. हनुमानगढ टाऊन, राजस्थान।	बनाम्	1. हरिकिशन पुत्र चौथीया, उम्र—70साल, जाति—नायक, निवासी—थेबड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक **07.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् उपस्थित ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा सरहद थेबड़ी में वादग्रस्त भूमि का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा कर डिक्री सादिर किया जाता है कि:—

1. खसरा नम्बर 71 रकबा 64 बीघा का 01/04 हिस्से में से रकबा 02/03 भाग भूमि का वादी प्रेमाराम को व रकबा 01/03 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 17 नन्दूदेवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 71 रकबा 64 बीघा का 01/04 हिस्से में से रकबा 01/02, 1/02 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 15 कमला व प्रतिवादी संख्या 18 जड़ाव को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **07.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—आकोदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—आकोदा

Scanned by CamScanner